प्रपत्र–1

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग (7.675 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों पमस्यारी CC, 00940800, H 230, Pop. 363) को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोडने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या : 2491/P3-14/URRDA/10, dated 18-03-2010 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया हैं। (शासनादेश की फ्लाटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट पमस्यारी की आवादी 363 है जो अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुडा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पंचायत भूमि 1.935 है0, नाप भूमि 1.489 है0, सिविल सोयम भूमि 3.922 है0 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

समरेखण नं0 1 :– के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ के निर्माणधीन मोटर मार्ग डीडीहाट के 2 कि0मी0 से समरेखण प्रारम्भ होता है। उक्त समरेखण में कि0मी0 0.600 तक पूर्व निर्मित सड़क है तथा इससे आगे चलकर नव निर्माण समरेखण प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में 03 हेयर पिन बैण्ड़ क्रमषः 3/33, 4/4. 5/24 तथा इस संरेखण में 03 आर0सी0सी0 पुल 10,8,15 मी0 के पड़ते है जो कि क्रमषः 5/14, 6/6, 7/20 है और 01 स्टील गर्डर पुल 36 मी0 का पड़ता है जो कि क्रमषः 1/36 का पड़ता है। इस भूमि के अतिरिक्त इस समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

समरेखण नं0 2 :– के अनुसार यह समरेखण के निर्माणधीन मोटर मार्ग डीडीहाट के 2 कि0मी0 से समरेखण प्रारम्भ होता है। उक्त समरेखण में कि0मी0 0.600 तक पूर्व निर्मित सड़क है तथा इससे आगे चलकर नव निर्माण समरेखण प्रारम्भ होता है। इस संरेखण में 03 आर0सी0सी0 पुल 12, 10, 15 मी0 के पड़ते है और 02 स्टील गर्डर पुल 42 मी0, 24 मी0 के पड़ते है। समरेखण की लम्बाई अधिक होने के कारण तथा समरेखण का अधिकतर भाग नाप क्षेत्र से तथा वन क्षेत्र से होकर गुजरती है मोटर मार्ग का कुछ भाग कच्ची भूमि से भी गुजरता है। इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण करने में .... वृक्ष अधिक प्रभावित होते है तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित नहीं होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 7.675 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली वन पंचायत भूमि 1.935 है0, एवं सिविल सोयम भूमि 3.922 है0 प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समंरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

अपर सहायक अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0– I I,पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0आई0यू0– I I,पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0आई0यू0– I I,पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट(पिथौरागढ़)	डीडीहाट(पिथौरागढ़)	डीडीहाट(पिथौरागढ़)